संख्या–वे0आ0–2–315 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 22 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन (भाग–1) द्वारा वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–वे0आ0–2–290 / दस–54(एम)2008टी0सी0, दिनांक 14 जून, 2012 द्वारा संसूचित निर्णय के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 14 जून, 2012 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–1 की तालिका में क्रम संख्या–4 एवं 5 के सम्मुख संस्तुत वेतनमान एवं वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्तम्भ में अंकित "5200–20200" के स्थान पर "9300–34800" पढ़ा जाये।

2– उपर्युक्त पत्र दिनांक 14 जून, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–315 (1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।